स्टेटस होल्डर Scheme में हाल के संशोधन पर जीएसटी हिंदी अपडेट

सरकार ने export performance (USA $ मिलियन में) के आधार पर status holder certificate जारी किया जाता है। नीचे दी गई export performance के अनुसार पाँच प्रकार के status holder certificate जारी किए जाते हैं जो इस प्रकार है:-

Status Category	Export Performance FOB / FOR (as converted) Value (in US $ million)
One Star Export House	3
Two Star Export House	25
Three Star Export House	100
Four Star Export House	500
Five Star Export House	2000

ऊपर का status holder certificate लेने के लिए, चार साल में से कम से कम दो में export होना आवश्यक है। एक IEC Holder का export performance दूसरे

IEC Holder को transfer नहीं कर सकता है। फिर से export माल को export perfomance मैं नहीं गिना जाएगा।

Status Holders Benefits: -

1. Import और export दोनों के लिए सीमा शुल्क मंजूरी self declartation basis पर दी जा सकती है।
2. DGFT द्वारा बनाई गई Norms committee द्वारा 60 दिनों के भीतर Input-Output ratio priority पर तय किए जाएंगे।
3. Foreign Trade Policy के तहत योजनाओं के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट मिलेगी।
4. Two star तथा उसके ऊपर के एक्सपोर्ट हाउस को revenue guidelines के अनुसार निर्यात गोदामों को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
5. CBIC की guidelines के अनुसार Accreddited Clients proogramme (एसीपी) का लाभ पाने के लिए तीन स्टार या उसके ऊपर के एक्सपोर्ट हाउस हकदार होंगे।
6. Status holders के consignments को preferential treatment और प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी हैंडल करेंगे।

7. निर्माता निर्यातक जो की स्टेटस होल्डर्स भी हैं, वे हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपने माल को "originating from India" स्व-प्रमाणित (self certifed) करने के लिए पात्र होंगे।

Status Holder scheme में हालिया संशोधन:-

Status holder के पास हर साल स्टेटस होल्डर certificate के renewal के लिए application फाइल करनी होती है। परंतु इस साल कोरोना वायरस से उत्पन्न situation को देखते हुए सरकार ने 2019-2020 में जारी Status holder certificate की वैधता 31.03.2021 तक बढ़ा दी है ताकि स्टेटस होल्डर को स्टेटस होल्डर application दाखिल करने में छूट मिले।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.